जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–जविप्रा/उपा./जोन–09/2022/डी– 6878 दिनांकः–12.12.2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के नाम हस्तान्तरण एवं फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	191	280	निजी खातेदारी योजना जेवियर आर्केड–II	श्री अजय गर्ग पुत्र स्व. श्री किशनदेव गर्ग	स्वाती रत्नु /ए.डी रत्नु	विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर
2	213	280	निजी खातेदारी योजना जेवियर आर्केड–II	श्री कपिल गर्ग पुत्र स्व. श्री किशनदेव गर्ग	अन्जु जैन पत्नी श्री नवीन कुमार जैन	विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करावें।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर।

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {8320}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल { abusufiyan.ras@gmail.com}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय—आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री राजेश कुमार पहाड़िया पुत्र श्री नेमीचन्द पहाड़िया	श्री रतन लाल पुत्र श्री लाखा राम	ए—92	जविप्रा	टीलावाला	लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड लीजडीड	मूल दस्तावेज गुम होने कारण।

उपायुक्त जोन—9
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

जविप्रा / ज़ोन—9 / 2022 / क्रमांकः / डी— 6877
दिनांक 12.12.2022

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांकः–जविप्रा/उपा./पीआरएन–उत्तर(द्वितीय)/2022/डी– 1787 दिनांकः– 9/12/2022

–ःसार्वजनिक सूचनाः–

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर–द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये है। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैंः–

क. स.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	ममता रावत पत्नी स्व. श्री सुनील रावत एंव सत्यम रावत व दक्ष रावत पुत्रान श्री सुनील रावत (भैरव गृ0नि0स0स0लि0 की योजना–मां करणी नगर–डी)	32ए	266
2	राजेन्द्र सिंह शेखावत/मूल सिंह शेखावत (सिन्धु नगर हाउ0 को0 सो0 लि0 की योजना की योजना–मोती विहार)	65	500
3	गीता देवी/बनवारी लाल शर्मा (अपोलो नगर हाउ0 को0 सो0 लि0 की योजना–जगदम्बा नगर–बी) अपंजीकृत इकरारनामा से	बी–150	400
4	ममता रावत/स्व. श्री सुनील रावत (भैरव गृ0नि0स0स0लि0 की योजना–मां करणी नगर–डी)	32	266

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II
जविप्रा,जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन **राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज** में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।
2. उक्त पत्रावलीयों में **नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022** में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा **प्रकाशन की कार्यवाही** करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II
जविप्रा,जयपुर।

पी.आर.एन. (उत्तर-II)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांकः–जविप्रा/उपा./पीआरएन–उत्तर(प्रथम)/2022/डी–1257 दिनांकः–07/12/22

–: आम सूचना :–

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स.	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री रामनिवास पुत्र श्री हुक्माराम	भू.सं. 6 श्री रामनिवास पुत्र श्री हुक्माराम भू.सं. 7 श्रीमती मीना गुप्ता पत्नी श्री राम शंकर गुप्ता दु.नं. 1–ए, 1–बी एवं 1–सी रामनिवास पुत्र श्री हुक्मा राम	6 एवं 7 दुकान नं. 1–ए, 1–बी, 1–सी	335.73	भैरव	जय दादी नगर	लीजडीड हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं अपंजीकृत इकरारनामें के आधार पर।

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–I
जविप्रा,जयपुर।

प्रतिलिपि :– जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशो के कम मे विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
पीआरएन–उत्तर (प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–I
जविप्रा,जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

कमांकः– जविप्रा / उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय) / 2022 / डी-4491 दिनांकः– 7.12.2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 480 रकबा 4.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 481 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 483 रकबा 1.60 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 6.06 हैक्टेयर के सम्पूर्ण / आंशिक भाग पर सृजित हसनपुरा–ए गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की आवासीय योजना प्रजापति विहार का नियमन शिविर दिनांक 05.06.2015 को आयोजित किया जा चुका है।

उक्त योजना के समीप ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 480 / 565 रकबा 1.01 हैक्टेयर के आंशिक भाग की भूमि पर भूखण्डधारी काबिज है। अतः राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014, 29.01.2020 एवं 29.09.2021 के अनुसार योजना प्रजापति विहार से लगते हुए खसरा नम्बर 480 / 565 रकबा 1.01 हैक्टेयर के आंशिक भाग पर सृजित भूखण्डधारियों द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्रों एवं अपंजीकृत इकरारनामों से भूखण्ड क्रय कर मौके पर काबिज है। उक्तानुसार भूखण्डों का नियमन करवाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूमि पर काबिज भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल (वर्गगज)
1.	श्री अंकित मोहन	श्री आनन्द मोहन	1	245.36
2.	श्रीमती चन्द्रकांता	श्री हनुमान प्रसाद	2	105.50
3	श्रीमती संतोष देवी	श्री हनुमान प्रसाद	3	105.50
4	श्रीमती मंजुलता	श्री हनुमान प्रसाद	4	105.50
5	श्रीमती शांती देवी	श्री हनुमान प्रसाद	5	105.50
6	श्रीमती मायालता	श्री आनन्द मोहन	6	309.46
7	श्रीमती मायालता	श्री आनन्द मोहन	7	352.77
8	श्रीमती मायालता	श्री आनन्द मोहन	8	427.77
9	श्री अंकित मोहन	श्री आनन्द मोहन	9	342.22
10	श्री अंकित मोहन	श्री आनन्द मोहन	10	357.77
11	श्री अंकित मोहन	श्री आनन्द मोहन	11	366.18

अतः नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 20.10.2014, 29.01.2020 एवं 29.09.2021 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 480 / 565 सम्पूर्ण / आंशिक भाग पर सृजित भूखण्ड के नियमन में यदि किसी व्यक्ति / हितधारी / खातेदार को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के अखबार में प्रकाशन से 7 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

कमांकः— जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण—द्वितीय)/2022/डी—4489 दिनांकः— 6.12.2022

—:सूचनाः—

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्गगज में)	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	राकेश	कु. ज्योती जैन	24 WP	251.79	श्री जनता को. हा.सो.लि.	रघु विहार	लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनामा, आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद इत्यादि।

उपायुक्त
जोन—पीआरएन (दक्षिण—द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः—

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन—पीआरएन (दक्षिण—द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:–जविप्रा/उपा./पीआरएन–उत्तर(प्रथम)/2022/डी–1260 दिनांक:– 8/12/2022

–:सार्वजनिक सूचना:–

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर–प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये है। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:–

क. स.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	बाबूलाल कटारिया/गुल्लाराम कटारिया (मित्र गृ0नि0स0स0लि0 की योजना–रघुनाथ विहार–डी)	16	283.33

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–I
जविप्रा,जयपुर।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
पीआरएन–उत्तर (प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन **राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज** में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।

2- उक्त पत्रावलीयों **में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय दवारा प्रकाशन की कार्यवाही** करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–I
जविप्रा,जयपुर।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
पीआरएन–उत्तर (प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:– जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय)/2022/डी– 4514 दिनांक:– 9.12.2022

–:सूचना:–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्गगज में)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	रवि कुमार भोजनगरवाला	हर्ष फतेपुरिया	32	268.34	श्रीराम कॉलोनी गृ.नि.स.स.लि.	सावित्री विहार	लीजडीड	हकत्याग पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद इत्यादि।
2	श्री राजेश डंडोतिया	प्रेमलता अग्रवाल	24	204.16	अम्बेश्वर गृ.नि.स.स.लि.	कृष्णा विहार	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद इत्यादि।
3	श्री आलोक गर्ग	कृष्णा देवी	570 SP	109.45	मित्र गृ.नि.स.स.लि.	सुमेर नगर	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा व वसीयतनामा, आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद इत्यादि।
4	परमेश्वरी देवी	रामचन्द्र	11	107.24	मीनावाला गृ.नि.स.स.लि.	श्री धनराज सिटी	लीजडीड	पंजीकृत हकत्याग, आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद इत्यादि।
5	मीरा देवी	स्व. श्री नन्दकिशोर	31	140.00	मित्र गृ.नि.स.स.लि.	महिमा नगर विस्तार	लीजडीड	पंजीकृत हकत्याग, लीजडीड इत्यादि।
6	आनन्द स्वरूप	प्रेम प्रकाश नवल	160	111.11	मीनावाला गृ.नि.स.स.लि.	श्री धनराज सिटी	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद इत्यादि।
7	आनन्द स्वरूप	बजरंग लाल नवल	159	111.11	मीनावाला गृ.नि.स.स.लि.	श्री धनराज सिटी	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद इत्यादि।
8	श्रीमती फूल कंवर, महिपाल सिंह निर्वाण, महावीर सिंह निर्वाण एवं रणवीर सिंह निर्वाण	महेन्द्र सिंह निर्वाण	Z 36	166.66	मित्र गृ.नि.स.स.लि.	सुमेर नगर विस्तार–ए	लीजडीड	सजरा पत्र, आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद इत्यादि।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/102264 / 6835 DATED- 12-12-2022

लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्री महेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री वेद प्रकाश गुप्ता निवासी ए–27 अम्बावाड़ी, जयपुर द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का **आवासीय** उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम–सिरोली तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर	श्री महेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री वेद प्रकाश गुप्ता निवासी ए–27 अम्बावाड़ी, जयपुर	3425 / 1568	0.3800 हैक्टेयर
कुल		**कुल किता 01**	**रकबा 0.3800 हैक्टेयर**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ओर अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 12-12-22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

प्रतिलिपी–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {8320}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल { abusufiyan.ras@gmail.com}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/102060/6884 DATED- 12-12-2022

लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्री भंवर लाल चौधरी पुत्र श्री कल्याणमल चौधरी निवासी 35, प्रताप नगर–2, बरकत नगर, जयपुर द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का **आवासीय** उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	**खातेदार का नाम एवं पता**	**खसरा संख्या**	**क्षेत्रफल हैक्टेयर**
ग्राम–टीलावाला तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर	श्री भंवर लाल चौधरी पुत्र श्री कल्याणमल चौधरी निवासी 35, प्रताप नगर–2, बरकत नगर, जयपुर	629	0.0266 हैक्टेयर
कुल		**कुल किता 01**	**रकबा 0.0266 हैक्टेयर**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ओर अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 12-12-22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

प्रतिलिपी–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

kiran/D:\zone 09\ravi 90A & map approval\Public.docx

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {8320}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल { abusufiyan.ras@gmail.com}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन–13 / 2022 / डी–5675 दिनांकः– 13/12/22

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः–राजस्व ग्राम–बस्सी, तहसील–बस्सी के खसरा नम्बर 1526, 1527, 1528 की भूमि पर श्री एल.बी.एस. कॉलोनी विकास समिति द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत लोक सूचना जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के तहत श्री एल.बी.एस. कॉलोनी विकास समिति जो खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम–बस्सी, तहसील–बस्सी के खसरा नम्बर 1526, 1527, 1528 की भूमि के नियमन की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके संबंध में सुओमोटो की कार्यवाही के लिये जारी लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है।

अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फोंट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो–दो मूल प्रतियॉ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सलंग्नः–लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
प्रारूप–13
(नियम 13(2) देखिए)
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

क्रमांकःजविप्रा / उपा. / जोन–13 / 2022 / डी– 5675 दिनांकः– 13/12/22

प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत
लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर–कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों / वारिसान् / हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति / असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र / इकरारनामा / सहमति पत्र भूमि हस्तान्तरित होने के कारण अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 90–क(8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (।।) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में में सुओमोटो पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (।।) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम व तहसील का नाम	सहकारी समिति / विकास समिति का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टेयर	स्वामित्व
बस्सी / बस्सी	श्री एल.बी. एस. कॉलोनी विकास समिति	1526	0.49	गोपालसिह पुत्र लादूराम हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. देह खातेदार,
		1527	0.13	सुरेशचन्द पुत्र स्व.रामेश्वर हिस्सा- पूर्ण जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार,
		1528	1.58	1. गिरराज पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा- 1/125 जाति- माथुर सा. अलवर खातेदार 2. गोपालसिह पुत्र लादूराम हिस्सा- 22/25 जाति- जाट सा. देह खातेदार 3. भगवानसहाय पुत्र भैरूलाल हिस्सा- 1/125 जाति- महाजन सा. देह खातेदार 4. मूलचन्द पुत्र गैंगाराम हिस्सा- 7/125 जाति- माली सा. देह खातेदार 5. राकेश पुत्र कृष्णमोहनत्रिवेदी हिस्सा- 3/125 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 6. राजेश पुत्र कृष्णमोहनत्रिवेदी हिस्सा- 3/125 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार,
		किता–3	2.20	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)नविवि / अभियान / 2021 / म.म.।। जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 में उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.09.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90–क(8) की कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि हित रखने वाले खातेदार / वारिसान / हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति / सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नं पी.बी. टी.एफ–307 पार्किंग भवन, तृतीय मंजिल, जविप्रा, जयपुर स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियॉ प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिनांक 13/12/22 को जारी की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13,
जविप्रा, जयपुर ।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः—ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन—13 / 2022 / डी—5671 दिनांकः— 13/12/22

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः—राजस्व ग्राम—हरमाडा, तहसील—आमेर के खसरा नम्बर 77, 80, 75, 78, 100, 76, 79, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101 की भूमि पर भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की आवासीय योजना मनसा माता नगर के नियमन बाबत् मनसा माता नगर विकास समिति द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत लोक सूचना जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान—2021 के तहत राजस्व ग्राम—हरमाडा, तहसील—आमेर के खसरा नम्बर 77, 80, 75, 78, 100, 76, 79, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101 की भूमि पर भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की आवासीय योजना मनसा माता नगर के नियमन बाबत् मनसा माता नगर विकास समिति द्वारा नियमन की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके संबंध में सुओमोटो की कार्यवाही के लिये जारी लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है।

अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फोंट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो—दो मूल प्रतियॉ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सलंग्नः—लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन—13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
प्रारूप–13
(नियम 13(2) देखिए)
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

क्रमांकःजविप्रा/उपा./जोन–13/2022/डी–5671 दिनांकः– 13/12/22

प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 90–के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का गैर–कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान्/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा/सहमति पत्र भूमि हस्तान्तरित होने के कारण **भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर** की आवासीय योजना **मनसा माता नगर** विकास समिति के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। विकास समिति द्वारा भूमि के नियमन के संबंध में आवेदन पत्र इस कर्यालय को प्रस्तुत किये गये है। जिसके साथ विक्रय पत्र/इकरारनामा संलग्न किए गए है जिसके आधार पर कृषि भूमि का मौके पर निरीक्षण करवाया गया। प्रथम दृष्टया भूमि का अकृषि प्रयोग किये जाने का साक्ष्य/रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 90–क(8) के विपरीत होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90–क, धारा 91 सपठित धारा 90–क(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 (।।) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावक्षित किए जाने योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क, धारा 91 सपठित धारा 90–क (5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 (।।) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम व तहसील का नाम	सहकारी समिति/विकास समिति का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टेयर	स्वामित्व
हरमाड़ा/आमेर	मनसा माता नगर विकास समिति	77	0.17	राधेश्याम पुत्र रामनिवास कौम ब्राहम्ण सा. देह
		80	0.61	
		किता–2	**0.78**	
		75	0.14	छगनलाल मदनलाल रामस्वरूप पि. बिजयलाल हि. 3/4 ब.हि.ब. अंजनी कुमार पुत्र श्यामसुन्दर हि. 1/4 कौम ब्राहमण सा. देह खातेदार
		78	0.19	
		100	0.20	
		किता–3	**0.53**	
		76	**0.19**	श्री कृष्ण, गोपाल पि. कानाराम कौम ब्राहम्ण सा. देह
		79	**0.19**	पांची देवी बेवा प्रबला महत्तर हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार
		86	0.25	1. काला पुत्र खूबा हिस्सा- 1/36 जाति- रेगर सा. देह खातेदार
		87	0.70	2. छीतर पुत्र कुशला हिस्सा- 1/12 जाति- रेगर सा. देह खातेदार
		88	0.24	3. तुलसीराम पुत्र हरबक्स हिस्सा- 1/6 जाति- रेगर सा. देह खातेदार
		89	0.26	4. ताराचन्द पुत्र सेडू हिस्सा- 1/15 जाति- रेगर सा. देह खातेदार
		90	0.26	5. नाथू पुत्र डूंगा हिस्सा- 1/24 जाति- रेगर सा. देह खातेदार
		91	0.49	6. पांचू पुत्र मंगला हिस्सा- 1/12 जाति- रेगर सा. देह खातेदार
		92	0.04	7. बल्ला पुत्र डूंगा हिस्सा- 1/24 जाति- रेगर सा. देह खातेदार
		93	0.02	8. बींजा पुत्र खूबा हिस्सा- 1/36 जाति- रेगर सा. देह खातेदार
		94	0.29	9. बोदूराम पुत्र हरबक्स हिस्सा- 1/6 जाति- रेगर सा. देह खातेदार
		95	0.06	10. भंवर पुत्र सेडू हिस्सा- 1/15 जाति- रेगर सा. देह खातेदार
		96	0.14	11. भागीरथ पुत्र सेडू हिस्सा- 1/15 जाति- रेगर सा. देह खातेदार
		97	0.24	12. रामगोपाल पुत्र सेडू हिस्सा- 1/15 जाति- रेगर सा. देह खातेदार
		101	0.04	13. रामजीलाल पुत्र सेडू हिस्सा- 1/15 जाति- रेगर सा. देह खातेदार 14. हीरा पुत्र खूबा हिस्सा- 1/36 जाति- रेगर सा. देह खातेदार,
		किता–13	**3.03**	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.II जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 में उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90—क(8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। दिनांक 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों में धारा 91 सपठित धारा 90—क (5) एवं तद्धीन बनाये गये राजस्थान (नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियम—2012 के नियम 4 में किए गए संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नं पी.बी. टी.एफ—307 पार्किंग भवन, तृतीय मंजिल, जविप्रा, जयपुर स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिनांक 13/12/22 को जारी की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन—13,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के तहत जोन–12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती श्रृद्धा कवंर पत्नि श्री अरूण कुमार भदोरिया	श्री गिर्राज प्रसाद खण्डेलवाल पुत्र श्री नृसिंहलाल खण्डेलवाल	03	43.62 व.मी.	जविप्रा	भांकरोटा	नाम हस्तान्तरण	नोटरी से प्रमाणित इकरारनामा व मुख्त्यारनामा आम के आधार पर

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

12/12/22

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर
यू.ओ.नोट क्रमांक :जविप्रा/जोन–12/2022/डी– 4390
दिनांक 12-12-22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

क्रमांकः जविप्रा/जोन–2/2022/डी– 2439 दिनांक 13/12/22

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री संजय गुप्ता पुत्र श्री अमृत लाल गुप्ता	श्री रामजी लाल पुत्र श्री अमृत लाल	2/134	275 व.मी.	जविप्रा	विद्याधर नगर	नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड पट्टा	रजिस्टर्ड उपहार पत्र इत्यादि
2	श्रीमती सईदा बानो पत्नी श्री नईमुद्दीन	श्री मोहन लाल पुत्र श्री प्रभाती लाल सैनी	आवास संख्या ए–147	50 व.ग.	जविप्रा	विद्याधर नगर	नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा इत्यादि

उपायुक्त जोन–2
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

दूरभाष–{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांकः जविप्रा/जोन-8/2022/डी-5157 दिनांक 13/12/22

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन

जयपुर क्षेत्र में स्थित संयुक्त गृ.नि.स.स. की योजना विधानसभा नगर-एफ ब्लॉक, रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, सांगानेर, जयपुर के भू.स. एफ-42 क्षेत्रफल 375.00 वर्गगज की फ्री-होल्ड लीजडीड श्रीमती पदमा चौहान पत्नी स्व. श्री रावत सिंह के पक्ष में दिनांक 24.03.2022 को जारी की गई थी। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बेचान दिनांक 06.06.2022 को श्रीमती अदिती गोयल पत्नी श्री तनुज गोयल के नाम किया जा चुका है। श्रीमती अदिती गोयल द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना में दर्शित सेक्टर व्यावसायिक (15 मीटर गहराई तक) एवं आवासीय भू-उपयोग के अनुसार आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। भवन विनियम-2020 के बिन्दु संख्या 21 के उपबिन्दु संख्या 6(ii) अनुसार आवेदित भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत से कम भाग व्यावसायिक/मिश्रित उपयोग में तथा शेष भाग आवासीय उपयोग में आने की स्थिति में सम्पूर्ण भूखण्ड का मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर भू.सं. एफ-43, दक्षिण दिशा की ओर भू.सं. एफ-40 व एफ-41-ए, पूर्वी दिशा की ओर 30 मीटर चौडा सेक्टर रोड, एवं पश्चिम दिशा की ओर भू.सं. एफ-44 स्थित है।

अतः नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना अनुसार आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त उपान्तरण के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो, किन्ही दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा उपायुक्त, जोन-08 को प्रस्तुत कर सकते है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 13/12/22 को जारी की गयी।

सचिव
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {1140}: ई-मेल : actpmp2025@gmail.com

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांकः जविप्रा / जोन–8 / 2022 / डी– 5156 दिनांक 13/12/22

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन

जयपुर क्षेत्र में स्थित संयुक्त गृ.नि.स.स. की योजना विधानसभा नगर–एफ ब्लॉक, रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, सांगानेर, जयपुर के भू.स. एफ–41–ए क्षेत्रफल 200.27 वर्गगज की फ्री–होल्ड लीजडीड श्री विनय जैन पुत्र श्री राकेश जैन के पक्ष में क्रमांक 2536 दिनांक 13.06.2022 को जारी की गई थी। श्री विनय जैन द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू–उपयोग मास्टर / जोनल विकास योजना में दर्शित सेक्टर व्यावसायिक (15 मीटर गहराई तक) एवं आवासीय भू–उपयोग के अनुसार आवासीय से व्यावसायिक भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। भवन विनियम–2020 के बिन्दु संख्या 21 के उपबिन्दु संख्या 6(i) अनुसार आवेदित भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत से अधिक भाग व्यावसायिक उपयोग में तथा शेष भाग आवासीय उपयोग में आने की स्थिति में सम्पूर्ण भूखण्ड का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर भू.सं. एफ–42, दक्षिण दिशा की ओर भू.सं. एफ–41, पूर्वी दिशा की ओर 30 मीटर चौडा सेक्टर रोड, एवं पश्चिम दिशा की ओर भू.सं. एफ–40 स्थित है।

अतः नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू–उपयोग मास्टर / जोनल विकास योजना अनुसार आवासीय से व्यावसायिक भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त उपान्तरण के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो, किन्ही दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर आपत्ति / सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा उपायुक्त, जोन–08 को प्रस्तुत कर सकते है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 13/12/22 को जारी की गयी।

13/12

सचिव
जविप्रा, जयपुर।